कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी

पत्रांक : **7930** /37, /2020–21, रामनगर, दिनांक, जून, **30** ,2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड (प्र0प0),
लोक निर्माण विभाग,
चन्दौली।

विषय : **जनपद–चन्दौली के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत नौगढ़ से चकरघट्टा सम्पर्क मार्ग किमी0 0.00 से 7.50 किमी0 तक मार्ग निर्माण में प्रभावित 6.75 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ : **उप सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्र संख्या–पी0–30/81–2–2020–800(85)/2019, दिनांक–11.06.2020**

उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद–चन्दौली के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत नौगढ़ से चकरघट्टा सम्पर्क मार्ग किमी0 0.00 से 7.50 किमी0 तक मार्ग निर्माण में प्रभावित 6.75 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी की अनुमति हेतु जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित विभिन्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गई है। शासन द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में आपके द्वारा निम्नानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है–

1. प्रस्तावक विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक–05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य, (एन0पी0वी0), क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौध रोपण, निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory afforestation fund, management and planning authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(क) प्रभावित आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि 6.75 हे0 वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित की जानी है। वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि को वन विभाग के नाम दर्ज कराते हुये आवश्यक अभिलेख यथा खतौनी सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरीत कराते हुये अनुपालन किया जाना है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित धनराशि मु0 991421.00 (रु0 नौ लाख इक्यानबे हजार चार सौ इक्कीस) मात्र की धनराशि आन लाइन ई–पेमेण्ट पोर्टल के माध्यम से की जानी है।

(ख) प्रभावित आरक्षित वन भूमि 6.75 हे0 के सापेक्ष शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) मू0 5420250.00 (रु0 चौव्वन लाख बीस हजार दो सौ पचास) मात्र आन लाइन ई–पेमेण्ट पोर्टल के माध्यम से की जानी है।

अतः वांछित धनराशि अलग–अलग मदवार आन लाइन ई–पेमेण्ट पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा ही जमा की जायेगी। उप सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के सापेक्ष अन्य समस्त शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन करते हुये बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे विषयक प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

सख्या– (अ)/ , समदिनांक।

प्रतिलिपि – मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – उप प्रभागीय वनाधिकारी नौगढ़ व क्षेत्रीय वन अधिकारी, नौगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।